कार्यालय / Office
वन सूचना विज्ञान प्रभाग
Forest Informatics Division
दै०सं०.......... Diary No. 531
दिनांक.......... Dated 1-6-15

अत्यावश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या 14011/2/ 2013–हि0
वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
डाकघर–न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006

दिनांक 27 मई, 2015

सेवा में,

1. सभी प्रभाग प्रमुख, वन अनुसंधान संस्थान।
2. कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान सम विश्व विद्यालय
3. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र
4. प्रचार एवं सम्पर्क अधिकारी,
5. सभी अनुभागों के प्रभारी/अनुभाग अधिकारी
6. निदेशक महोदय के वैयक्तिक सहायक को सूचनार्थ
7. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक को सूचनार्थ

विषयः समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि छपवाने के संबंध में ।

****

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मंत्रालय से शिकायत प्राप्त हुई है कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में अंग्रेजी के विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहें है, जो घोर आपत्तिजनक है और राजभाषा अधिनियमों की अवहेलना है। जैसा कि आपको विदित है कि संविधान में राजभाषा से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं का अनुपालन करना हम सभी का दायित्व है। राजभाषा नियमों में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार हिंदी के समाचार पत्रों में केवल हिंदी का विज्ञापन और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में केवल अंग्रेजी का विज्ञापन प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

अतः संस्थान के सभी प्रभाग प्रमुखों/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे कृपया राजभाषा अधिनियमों का सम्मान करते हुए हिंदी के सामाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन आदि केवल हिंदी में ही छपवायें तथा अंग्रेजी की प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन आदि केवल अंग्रेजी के समाचार पत्र में ही छपवाएं और अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन देते समय उसके अंत में यह उल्लेख अवश्य किया जाए कि उक्त विज्ञापन हिंदी में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाईट (पूर्ण लिंक दी जाए) देखें।

कृपया साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि संस्थान में प्रभाग/अनुभाग स्तर पर राजभाषा अधिनियम एवं नियमों में की गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन न हो, क्योंकि राजभाषा संबंधी उल्लंघन के मामलों में उच्च स्तर पर संस्थान का बचाव कर पाना न केवल मुश्किल होता है अपितु इससे संस्थान की हिंदी प्रगति की स्थिति भी प्रभावित होती है।

अतः सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि कृपया परिपत्र सं012019/35/2013–रा.भा.(सी), दिनांक 17 जुलाई, 2014 (प्रतिलिपि संलग्न) में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीया

(रश्मा दीवान)
अवर सचिव एवं
प्रभारी अधिकारी(हिं0)
वन अनुसंधान संस्थान

संलग्नकः यथावर्णित।

सं0 12019/35/2013-रा.भा.(शि0)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, बी-विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 17 जुलाई, 2014

22 JUL 2014

परिपत्र

विषय:- राजभाषा विभाग के शिकायत कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में

राजभाषा विभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों में 20% से 25% शिकायतें, हिन्दी के समाचार-पत्रों में 'अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशन' से संबंधित प्राप्त हो रही है।

2. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों तथा राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना अपेक्षित है। परिभाषित 'क' क्षेत्र में केवल हिंदी में ही पत्रोत्तर करना है।

3. अत: सभी मंत्रालयों / विभागों को सलाह दी जाती है कि हिंदी के अखबार में हिंदी का विज्ञापन तथा अंग्रेजी के अखबार में अंग्रेजी का विज्ञापन दें। जब अंग्रेजी के अखबार में अंग्रेजी में विज्ञापन दिया जाए तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दें कि "अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिन्दी रूपान्तर वेबसाइट पर उपलब्ध है ...(पूर्ण लिंक दी जाए)" ।

(विजय कुमार)
उप-सचिव (शिकायत)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग